



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 06.10.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/26 धारा 140(3) बीएनएस तरमीम धारा 140(1)/103(1)/238(a)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर मृतक का शव व चप्पल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2026 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा थाना चांदीनगर पर लिखित तहरीर दी गई कि उसका भाई अजय गांव के ही लवदीप एवं अमित पुत्र ज्ञानचंद के साथ लवदीप की मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्राम पूरनपुर नवादा की ओर गया था, किन्तु वापस नहीं



लौटा । काफी तलाश एवं खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाने के मु0अ0सं0 129/26 धारा 140(3) बीएनएस तरमीम धारा 140(1)/103(1)/238(a)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर मृतक का शव व चप्पल बरामद हुई है ।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का लोप कर धारा 140(1)/103(1)/238(a)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

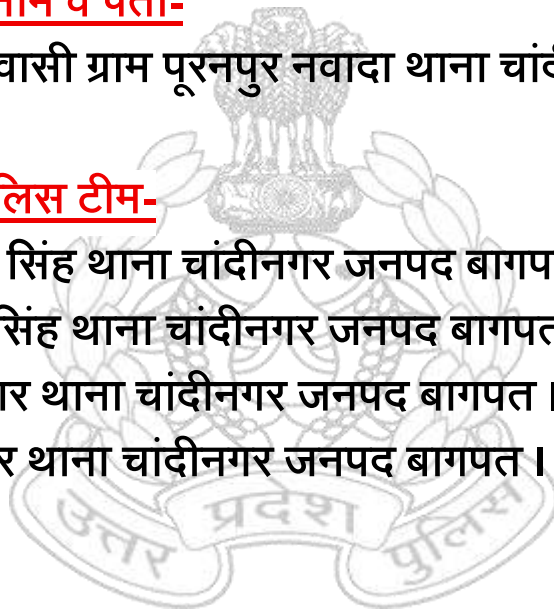
नोट- थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा तलाश/विवेचना के क्रम में दिनांक 05.10.2026 को पुलिस द्वारा अमित पुत्र ज्ञानचंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में अमित ने बताया कि उसने अपने साथी लवदीप के साथ मिलकर अजय की हत्या कर दी तथा शव को घिटौरा के पास गाजियाबाद बॉर्डर पर कहीं खेत में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान से शव बरामद कर कब्जे में लिया गया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री रामचन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2. उ०नि० श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3. का० 224 मोहित कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
4. का० 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.10.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 706/26 धारा 70(2)/351(2) बी.एन.एस व 67(b) आई.टी. एक्ट व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 706/26 धारा 70(2)/351(2) बी.एन.एस व 67(b) आई.टी. एक्ट व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सलमान कुरैशी पुत्र गुलाब कुरैशी निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र 20 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 आरिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 633 रूस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3.का0 433 गौरव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 06.10.2026

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर, चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.10.2026 को थाना बालैनी पर वादी श्री कृष्णपाल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साईकिल स्प्लेन्डर रजि0न0 UP17X 4428 चोरी कर ली है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 139/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों को रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर, चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 140/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

नोट- उक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सुल्तान उर्फ मोटा पुत्र ईरफान निवासी ग्राम सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

2. कासिम उर्फ अपाचे पुत्र यामीन निवासी ग्राम सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

घटना स्थल/गिरफ्तारी स्थान- जंगल ग्राम बाखरपुर बालैनी

अभियुक्त सुल्तान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 268/26 धारा 317(4)/317(5) बीएनएस थाना जानी मेरठ।

2. मु0अ0सं0 316/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना परतापुर मेरठ।

3. मु0अ0सं0 308/24 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद।

4. मु0अ0सं0 178/25 धारा 303(2)/317(2) मधुवन बापूधाम गा0बाद।

5. मु0अ0सं0 139/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बालैनी बागपत।

6. मु0अ0सं0 140/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बालैनी बागपत।

अभियुक्त कासिम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 316/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना परतापुर मेरठ।

2. मु0अ0सं0 139/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बालैनी बागपत।

3. मु0अ0सं0 140/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बालैनी बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर। (सुल्तान से)
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP15EH5818
- चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP17X4428 (मु0अ0सं0 139/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रमेशचन्द थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

4-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

- 5-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6-का0 912 सूरज थाना बालैनी जनपद बागपत ।
7-का0 204 विकास कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल टीम जनपद बागपत के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के खाते से ली गयी 36,000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि में से 8,338/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी-

1-पीड़ित सौइब पुत्र गुफान निवासी खेकडा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन 36,000/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसका ACK नं0 33112250176310 है। शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार व का0 605 नारायण द्वारा शिकायत का



तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 36,000/- रुपये में से होल्ड हुए 8,338/- रुपये को MRM PORTAL के माध्यम से वापस कराये गये।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकडा	33112250176310	8338/-